

12/10/22

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-500/XXVIII-2/2019-01(12)2022
देहरादून: दिनांक सितम्बर, 2022

अधिसूचना

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा-6 एवं सरोगेसी (surogacy) (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा-26 में प्रदत्त अधिकारिता के अन्तर्गत उक्त अधिनियमों के सुसंगत प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार राज्य में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड का निम्नवत गठन किया जाता है:-

- (1) मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड। :अध्यक्ष (पदेन)
- (2) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन। :उपाध्यक्ष (पदेन)
- (3) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। :सदस्य (पदेन)
- (4) प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। :सदस्य (पदेन)
- (5) प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। :सदस्य (पदेन)
- (6) प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। :सदस्य (पदेन)
- (7) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून। :सदस्य (पदेन)
- (8) राज्य सरकार द्वारा नामित निम्नलिखित दस सदस्य:- :सदस्य

(क) प्रख्यात चिकित्सा अनुवांशिकीविद

- (1) डा0 लतिका चावला, MBBS,MD(OBG) Advanced Training in Embryology, Associate professor, OBS Gyne, AIIMS Rishikesh, Dehradun
- (2) डा0 मीनू वैश, MBBS, MD, (OBG) FICMCH KGMC, ART Specialist, Dehradun.

(ख) प्रख्यात स्त्री/प्रसूती रोग विशेषज्ञ

- (1) डा0 सावित्री सिंह, MBBS (DGO), Renowned OBG, Gynae in Kumaon belt. Ex Director Medical Health and Family Welfare, Uttarakhand Nainital.
- (2) डा भागीरथी जोशी, MBBS MS (OBG).

(ग) प्रख्यात समाज विज्ञानी-

- (1) श्रीमती बिन्दुवासिनी, MSW, MA Sociology, Project Director, Institute of Social Development, US Nagar.
- (2) श्रीमती अनिता रावत, PHD, D.Phil, Msc, Director, Uttarakhand Science Education & Reserch Centre, Dehradun.

(घ) प्रख्यात महिला कल्याण संगठन से नामित प्रतिनिधि-

- (1) श्रीमती रेनू सरन, National President Women & child Department, Haldwani, Nainital.
- (2) सुश्री हेमलता बहन, Social Activist, Dehradun.

(ङ) प्रख्यात महिला एवं बाल स्वास्थ्य से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य करने वाली सामाजिक संस्था से नामित प्रतिनिधि-

- (1) श्री लॉरेन्स सिंह, COO/ Dy. Project Director at State Nari Niketan Kendra, Dehradun
- (2) श्रीमती अरुणा नेगी चौहान, Senior Associate (Legal) D Company Advocates & Solicitors, Dehradun

2363

Dir (MP)

11-10-22

AR0/10

12/10/22

9. संयुक्त सचिव (परिवार कल्याण) चिकि०स्वा० एवं चिकित्सा शिक्षा :सदस्य
विभाग, उत्तराखण्ड शासन से अन्यून सचिव (पदेन)

- 2-पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष का होगा।
- 3-उक्त अधिनियम की धारा-27 (e) में प्राविधानित तीन महिला विधान सभा सदस्यों को नामित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना पृथक से निर्गत की जायेगी।

(डा० आर. राजेश कुमार)
सचिव (प्रभारी)

संख्या-^{500 (1)}/XXVIII-1/2022-(12)2022 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
5. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी/जिला अधिकारी।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, चिकि०स्वा० एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
10. समस्त नामित सदस्यगण।
11. संयुक्त सचिव,(परिवार कल्याण)/ सदस्य सचिव (पदेन), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
12. अधीक्षक एवं निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना के प्रकाशनार्थ।
13. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से


(अमनदीप कौर)
अपर सचिव।